परिशिष्ट - "अ"

[25/3/2021]

सतना जिले के विभिन्न विकासखण्डो में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरो की जानकारी

प्रश्न सं. [क्र. 5572]

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	कम्प्यूटर ऑपरेटर का नाम
1	अमरपाटन	नीरज पाण्डेय
2	अमरपाटन	राजनारायण मिश्रा
3	अमरपाटन	मथुरा प्रसाद पटेल
4	अमरपाटन	जय प्रकाश पटेल
5	अमरपाटन	राजीव पटेल
6	मैहर	अमित तिवारी
7	मैहर	रामकुमार सेन
8	मैहर	बृजेश शुक्ला
9	मैहर	विमल चौरसिया
10	मैहर	रामकृपाल नागवंशी
11	मझगवां	रामकुष्ण गर्ग
12	मझगवां	अनिल अग्रवाल
13	मझगवां	मिथलेश गर्ग
14	नागौद	संगमलाल पटेल
15	नागौद	पंकज उपाध्याय
16	नागौद	आशीष द्विवेदी
17	नागौद	रजनीश द्विवेदी
18	नागौद	रोहित चौधरी
19	रामनगर	सुनील कुमार तिवारी
20	रामनगर	अनिल पाण्डेय
21	रामपुर बाघेलान	अजय भारतीय
22	रामपुर बाघेलान	प्रकाश पाण्डेय
23	रामपुर बाघेलान	रीता सिंह
24	रामपुर बाघेलान	विवेकमणि मिश्रा
25	रामपुर बाघेलान	राजेन्द्र यादव
26	सोहावल	शिवशंकर चौधरी
27	उचेहरा	मनोज कुमार चौरसिया
28	उचेहरा	विनोद कुमार सेन
29	उचेहरा	निखिल सिंह परिहार
30	उचेहरा	राकेश कुमार सोनी
31	उचेहरा	हरिनारायण ताम्रकार

Harsh Narayan 12/3

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत सतना (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9055 /22/वि-2/स्था/19 भोपाल दिनांक 20/09/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक** (समस्त)
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, जिला पंचायत (समस्त)
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, जनपद पंचायत (समस्त)

विषय: जिला/जनपद पंचायत स्तर पर कलेक्टर दर पर रखे गये दैनिक वेतन भोगियों के पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ: समय-समय पर विभागीय वीडियों कॉफ्रेंसिंग में जिला/जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान के संबंध में चाही गई अनुमति।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रदेश के जिला/जनपद पंचायतों द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/भृत्य/चौकीदार आदि की सेवाऐं प्राप्त की जाकर उन्हें पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

2. इस संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय, म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र. 1682/22/वि-2/स्था/19 दिनांक 18.02.19 के द्वारा दिनांक 30 जून 2019 तक के लिए पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात समय-समय पर विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला/जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान के संबंध में अनुमति चाही जा रही है।

3. उक्त स्थिति में स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्तियों की स्थिति स्पष्ट नही है, इस संबंध में म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्र. 323/मु.स/सा.प्रा.वि./2015 दिनांक 19 अगस्त 2015 द्वारा शासन के समस्त विभागों को निर्देश जारी किये गये थे, कि सभी विभाग रिट याचिका क्र. 198/1999/मनसुख लाल विरूद्ध अरूण तिवारी में किये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें। माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका में यह निर्देश दिये थे, कि लोक पदों पर सभी नियमित नियुक्तियां संबंधित भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ठ चयन प्रक्रिया का कडाई से पालन कर की जावे। यदि नियुक्तियां अनियमित है तो तत्काल उक्त नियुक्तियों को निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। उक्त कार्यवाही न किये जाने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

<u>पूर्ण विचार उपरांत विषयांतर्गत प्रकरणों में निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत पुन: स्पष्ट किए जाते है</u> :-

1. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये स्वीकृत पद होना आवश्यक है।
2. स्वीकृत पद उपलब्ध न होने की स्थिति में की गई नियुक्ति पूर्ण रूप से अवैध है।
3. नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित आवश्यक आर्हता, अनुभव एवं भर्ती नियमों अनुसार कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

33

4. पदों पर नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्तिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए।

4. यदि विधिवत स्वीकृत पदों पर नियमानुसार नियुक्ति नही की गयी है तो ऐसी नियुक्तियां तत्काल निरस्त की जावें। तत्पश्चात कार्य की आवश्यकतानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोडकर शेष दिवसों के लिए नियमानुसार कलेक्टर दर पर योग्यता अनुसार व्यक्तियों से कार्य लिया जा सकता है एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान मजदूरी मद या स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय से नियमानुसार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में विधि अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरी सिंह) 2019.
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

E:\Khare Sir\Letter-2019.docx